न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/96/2023 रजू दिनांकः 20.07.2023 रजि0 न0 2023/613

अपीलार्थीः–
श्री कैलाशचन्द गहलोत,से0नि0 तहसीलदार, निवासी 457, रजनी विहार हीरापुरा, अजमेर रोड़, जयपुर–302021 (राज0)

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय), अलवर, जिला अलवर (राजस्थान) 301001

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 21.08.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 07.01.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.06.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी/प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने जरिये प्रतिलिपि पत्र कमांक लो0सू0अ0/प्रथम अपील/2023/1270 दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जाकर अवगत कराया है कि अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांक 07.01.2023 तक कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखीय सूचना कार्यालय पत्रांक 877 दिनांक 16.06.2023 के माध्यम से प्रेषित की जा चुकी है। अपीलार्थी द्वारा बार–बार एक ही विषयक सूचना आवेदन पेश किय जाकर कार्य को कराये जाने/सूचना उपलब्ध कराने की वांछा की जा रही, जो उचित नहीं है। माननी मुख्य सूचना आयुक्त राजस्थान राजय सूचना आयोग, जयपुर द्वारा द्वितीय अपील प्रकरण संख्या 3169/2011 ब.उ. सुरेश चन्द्र कौशिक बनाम लोक सूचना अधिकारी, अति0 जिला कलक्टर प्रथम प्रशासन अलवर में दिनांक 06.02.2012 को निर्णय पारित कर माना है कि " सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति केवल अभिलेखीय सूचा प्राप्त कर सकेते है अपने कार्य को नहीं करवा सकता।" उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर
(राज0)